एससी-एसटी कानून बैंक के बंधक अधिकारों में नहीं डालता बाधा

हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से एक्सिस बैंक के एमडी व सीईओ के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही पर लगाई रोक

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल किसी बैंक को उसके वैध बंधक अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। कानून के ये प्रावधान, एससी-एसटी समुदाय के लोगों की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा या बेदखली रोकने से संबंधित हैं।



जस्टिस सचिन दत्ता ने यह टिप्पणी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से एक्सिस बैंक, उसके प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगाते हुए की। जस्टिस दत्ता ने 16 अक्तूबर को पारित आदेश में कहा, मामले में अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(एफ) और (जी) लागू नहीं होती हैं क्योंकि याचिकाकर्ता के बंधक अधिकार के प्रयोग को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति ने एससी-एसटी कानून का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए आयोग के सामने अभ्यावेदन दिया था। आयोग ने बैंक के एमडी और सीईओ को पेश होने का आदेश दिया था। कानून की धारा 3(1)(एफ) एससी/एसटी समुदाय के किसी सदस्य की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करने या खेती करने पर दंड का प्रावधान करती है, जबकि धारा 3(1)(जी) किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से गलत तरीके से बेदखल करने की सजा से संबंधित है। ब्यूरो

संपत्ति गिरवी रख लिया करोड़ों का कर्ज, चुकाया नहीं

अदालत के समक्ष दायर याचिका के अनुसार, एक्सिस बैंक ने 2013 में महाराष्ट्र के वसई की संपत्ति गिरवी रखकर सनदेव अप्लायंसेज लि. को 16.69 करोड़ रुपये का लोन दिया था। उधार लेने वाले के भुगतान न करने पर, 2017 में खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया और बैंक ने गिरवी रखी संपत्ति को अपने अधिकार में लेने के लिए कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल किया।

आयोग की कार्यवाही उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर

हाईकोर्ट ने यह कहते हुए आदेश पर रोक लगा दी कि आयोग के समक्ष लंबित कार्यवाही उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने समन जारी कर बैंक के एमडी और सीईओ को उसके समक्ष उपस्थित होने को कहा था।

- हाईकोर्ट ने कहा कि आयोग ने समन जारी करने के पीछे कोई तर्क दर्ज नहीं दिया है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगले साल 5 फरवरी के लिए निर्धारित कर दी।

तिरुपति देवस्थानम को 11 महीने में मिला 918.6 करोड़ रुपये का दान

कुल चंदे में से 579.38 करोड़ ऑनलाइन और 339.20 करोड़ ऑफलाइन माध्यमों से मिले

तिरुपति। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को नवंबर, 2024 से इस साल अक्तूबर के बीच उससे जुड़े विभिन्न ट्रस्टों के माध्यम से 918.6 करोड़ रुपये का दान मिला है।

इसमें सबसे अधिक श्री वेंकटेश्वर (एसवी) अन्नदानम ट्रस्ट को लगभग 339 करोड़ रुपये का चंदा मिला। इसके बाद श्रीवाणी ट्रस्ट को 252 करोड़ और श्री बालाजी आरोग्य वरप्रसादिनी योजना को लगभग 98 करोड़ रुपये दान में मिले। टीटीडी, आंध्र प्रदेश के सुप्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधन करने वाला बोर्ड है। टीटीडी के अध्यक्ष बीआर नायडू ने बताया कि उनके कार्यभार संभालने के बाद से ट्रस्टों को मिलने वाले चंदे में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भरपूर योगदान मिल रहा है। उन्होंने बताया कि प्राप्त कुल चंदे में से 579.38 करोड़ ऑनलाइन और 339.20 करोड़ रुपये ऑफलाइन माध्यमों से मिले हैं। नायडू ने बताया कि एसवी प्राणदान ट्रस्ट को लगभग 67 करोड़ रुपये, एसवी गोसंरक्षण ट्रस्ट को 56 करोड़ से अधिक, एसवी विद्यादान ट्रस्ट को 33.47 करोड़ का दान मिला। एजेंसी



केरल में सुरक्षा में चूक

राष्ट्रपति मुर्मू के हेलिकॉप्टर के पहिये हेलीपैड में धंसे



पथानमथिट्टा। केरल दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। पथानमथिट्टा जिले में बुधवार को राष्ट्रपति का हेलिकॉप्टर उतरने के बाद हेलीपैड का एक हिस्सा अचानक धंस गया, जिससे हेलिकॉप्टर के पहिये फंस गए। राष्ट्रपति सबरीमला स्थित भगवान अय्यप्पा मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची थीं। मौके पर मौजूद पुलिस, फायर ब्रिगेड और सुरक्षाकर्मियों ने मिलकर हेलिकॉप्टर को धक्का देकर बाहर निकाला। बाद में राष्ट्रपति सबरीमला मंदिर पहुंचीं और पूजा-अर्चना की। एजेंसी

नेपाल में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने दान कीं 81 स्कूल बसें

काठमांडो। भारत ने नेपाल के 48 जिलों के कई शैक्षणिक संस्थानों को 81 स्कूल बसें दान की हैं।



काठमांडो स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक, नेपाल के बाढ़ प्रभावित कोसी प्रांत के इलम, झापा और उदयपुर सहित 48 जिलों के कई शैक्षणिक संस्थानों को ये बसें दी गई हैं। भारत ने यह दान नेपाल के साथ लंबे वक्त से चली आ रही साझेदारी और मित्रता की वजह से किया। बीते तीन दशकों में भारत ने नेपाल को 381 स्कूल बसें दी हैं। ब्यूरो

गाजा नहीं आएंगे अमेरिकी सैनिक : वेंस अमेरिका संरक्षित नहीं इस्राइल : नेतन्याहू

अपना रुख स्पष्ट करने पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति को इस्राइली प्रधानमंत्री की दी टूक

तेल अवीव। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मंगलवार को कहा कि गाजा की जमीन पर अमेरिकी सैनिकों को तैनात नहीं किया जाएगा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख को दोहराते हुए कहा कि गाजा में शांति स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच, वेंस से मुलाकात के पूर्व इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि उनका देश अमेरिका का संरक्षित राष्ट्र नहीं है और अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने दक्षिणी इस्राइल के किर्यत गत में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, गाजा में अमेरिकी सैनिक नहीं तैनात किए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। हमारे सभी सैन्य नेतृत्व ने भी यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। अमेरिका शांति प्रक्रिया में उपयोगी समन्वय प्रदान करता रहेगा। किंतु गत में अमेरिकी नेतृत्व वाली एक टीम गाजा युद्धविराम की निगरानी कर रही है।

ट्रंप प्रशासन में इस बात की चिंता है कि इस्राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू युद्धविराम समझौते पर पुनर्विचार कर सकते हैं, जिससे नए सिरे से शत्रुता भड़क सकती है। उपराष्ट्रपति वेंस युद्धविराम को बनाए रखने के चल रहे प्रयासों को मजबूत करने के लिए इस्राइल पहुंचे हैं। वेंस ने किर्यत गत कमांड सेंटर का दौरा किया, युद्धविराम की निगरानी की और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ निजी चर्चा की। हालांकि, गाजा में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर अनिश्चितता बरकरार है। एजेंसी



जेडी वेंस



बेंजामिन नेतन्याहू

अपनी सुरक्षा पर खुद फैसला करेगा इस्राइल : नेतन्याहू

वेंस से मुलाकात से पहले इस्राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सख्त रुख अपनाया। बैठक से पहले नेतन्याहू ने अपने कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा, हम अमेरिका के संरक्षित राष्ट्र नहीं हैं। इस्राइल खुद अपनी सुरक्षा का फैसला करेगा।

- वेंस के साथ बैठक से पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू की टिप्पणी का उद्देश्य जनता को इस चिंता को कम करना प्रतीत होता है कि गाजा में एक संभावित अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल की मौजूदगी भविष्य के खतरों को नाकाम करने के लिए इस्राइल की क्षमता को सीमित कर सकती है।
- **इस्राइल को गाजा में राहत आपूर्ति करने की अनुमति देनी चाहिए : आईसीजे** अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने बुधवार को कहा कि इस्राइल को गाजा में संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेंसी को युद्धग्रस्त क्षेत्र में मानवीय सहायता प्रदान करने की अनुमति देनी चाहिए।

नेतन्याहू आए तो होंगे गिरफ्तार : कार्नी

ओटावा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि इस्राइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अगर कनाडा आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। यह कदम अंतरराष्ट्रीय अदालत की तरफ से उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के क्रम में उठाया जाएगा। कार्नी के पूर्ववर्ती जस्टिन ट्रूदो ने भी कनाडा आने पर नेतन्याहू की गिरफ्तारी की बात कही थी। एजेंसी

ट्रंप ने हमास को फिर दी चेतावनी कहा-दो मिनट में तबाह कर देंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को फिर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने युद्धविराम भंग करने का प्रयास किया तो उसे दो मिनट में खत्म कर दिया जाएगा। व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह में ट्रंप ने अपने शांति प्रयासों के व्यापक संदर्भ पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, हम पूरी दुनिया में शांति स्थापित कर रहे हैं... हम सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। मुझे अभी पश्चिम एशिया से फोन आया है। हम वहां बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई देशों ने पश्चिम एशिया में शांति के लिए हस्ताक्षर किए हैं और किसी ने नहीं सोचा था कि वे कभी ऐसा होते देखेंगे। इस दौरान ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराया कि व्यापार के जरिये उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराया। अमेरिकी राष्ट्रपति पहले भी ऐसा दावा करते रहे हैं और भारत ने हर बार उनके दावे को खारिज किया है।

डीपफेक : सोशल मीडिया मंचों की बढ़ेगी जवाबदेही

- आईटी नियमों में बदलाव का प्रस्ताव, एआई-जनित सामग्री के लिए लेबलिंग, मार्कर पर विचार

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से बनाए गए डीपफेक और सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल सामग्री से होने वाले नुकसान से उपयोगकर्ताओं को बचाने के लिए केंद्र सरकार जवाबदेही तय करेगी। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी नियम, 2021 में संशोधन का मसौदा पेश किया है। प्रस्तावित बदलावों का मकसद एआई के जरिये तैयार सामग्री की स्पष्ट लेबलिंग, मार्कर पर विचार और बड़े सोशल मीडिया मंचों की जवाबदेही बढ़ाना है।

मंत्रालय ने कहा कि जनरेटिव एआई टूल का इस्तेमाल बढ़ने से अब गलत जानकारी पेश करना और नकली वीडियो एवं ऑडियो क्लिप तैयार करना आसान है। हाल ही में वायरल कई डीपफेक वीडियो से जाहिर है कि जनरेटिव एआई की मदद से ऐसे व्यक्ति के कथन या कृत्य दिखाए जा सकते हैं जो वास्तव में उनके नहीं थे। इससे गलत सूचना फैल सकती है, प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। चुनाव प्रभावित किए जा सकते हैं या धोखाधड़ी भी हो सकती है। इसी पर नियंत्रण पाने के लिए नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। इसका मकसद उपयोगकर्ताओं में जागरूकता बढ़ाना, पहचान सुनिश्चित करना और जिम्मेदारी तय करना है। इन नियमों के मसौदे पर सुझाव एवं टिप्पणियां छह नवंबर तक भेजी जा सकती हैं।



मसौदे में ये खास प्रस्ताव

- 50 लाख या उससे अधिक उपयोगकर्ताओं वाले बड़े सोशल मीडिया मंचों को सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड सामग्री कृत्रिम तो नहीं। इसके लिए तकनीकी उपाय अपनाने होंगे। सामग्री को चिह्नित करना अनिवार्य होगा।
- एआई जनित जानकारी को ऐसी सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे कंप्यूटर के जरिये कृत्रिम या एल्गोरिद्म के इस्तेमाल से निर्मित, संशोधित या वास्तविक लगने वाला रूप दिया गया हो।
- मार्कर मानकों में वीडियो एवं ऑडियो संकेत शामिल होंगे, जो वीडियो सामग्री के कम-से-कम 10 फीसदी या ऑडियो कंटेंट की शुरुआती 10 फीसदी अवधि तक दिखाई या सुनाई देंगे।

मित्र देशों के लिए भी पनडुब्बी का निर्माण करेंगे भारत-फ्रांस

नई दिल्ली। भारत और फ्रांस अब अपने मित्र देशों के लिए भी पनडुब्बी का निर्माण कर उनका नियति करेंगे। इसके लिए फ्रांस की रक्षा उद्योग कंपनी नेवल ग्रुप और भारत के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लि. (एमडीएल) ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) को विस्तार दिया। इसका मकसद मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करना और भारत की निर्यात क्षमता को बढ़ाना है।



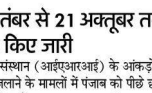
भारत और फ्रांस ने पिछले बृहस्पतिवार को पनडुब्बियों के साझा निर्यात के लिए सहयोग मजबूत करने के लिए मौजूदा एमओयू के विस्तार पर हस्ताक्षर किए। नवीनीकृत एमओयू जुलाई, 2023 में हस्ताक्षरित मूल समझौते पर आधारित है, जो पनडुब्बी डिजाइन, इंजीनियरिंग और नौसेना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत-फ्रांस साझेदारी की पुष्टि करता है। इसमें भारत-निर्मित नवीनतम पीढ़ी की स्कॉर्पीन-श्रेणी की पनडुब्बियों के अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को निर्यात के अवसरों का पता लगाना भी शामिल है। ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के मामले पंजाब से ज्यादा बढ़े

आईएआरआई ने 15 सितंबर से 21 अक्तूबर तक के आंकड़े किए जारी

नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के आंकड़ों से पता चला है कि उत्तर प्रदेश ने पराली जलाने के मामलों में पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। पंजाब में इस सीजन (15 सितंबर से 21 अक्तूबर 2025) तक पराली जलाने की केवल 415 घटनाएं दर्ज हुई हैं, जो पिछले छह वर्षों में सबसे कम हैं।

वहीं, उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की 660 घटनाएं दर्ज की गई हैं। यानी पंजाब की तुलना में लगभग 60 फीसदी अधिक पराली जलाई गई। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली-एनसीआर में हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है, और राजनीतिक दलों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। आईएआरआई के कंप्रीहेंसिव फॉर रिसर्च ऑन एग्रोइकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस की रिपोर्ट बताती है कि यूपी में 15 सितंबर से 21 अक्तूबर 2025 के बीच पराली में आग की 660 घटनाएं दर्ज की गईं। यह आंकड़ा पिछले पांच वर्षों में दूसरा सबसे अधिक है। वर्ष 2024 में इसी अवधि में 723 घटनाएं दर्ज की गई थीं। राज्य के 58 जिलों में उपग्रह चित्रों के जरिये पराली में आग लगने की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। अमर उजाला नेटवर्क



धान की कटाई के बाद वैकल्पिक निस्तारण सुविधाओं की कमी के कारण बढ़ी समस्या...विशेषज्ञों का मानना है कि यह वृद्धि उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में धान की खेती के बढ़ते क्षेत्रफल और कटाई के बाद वैकल्पिक निस्तारण सुविधाओं की कमी से जुड़ी है। पंजाब में पराली में आग लगने की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आई है।15 सितंबर से 21 अक्तूबर 2025 तक राज्य में सिर्फ 415 घटनाएं दर्ज हुईं जो 2020 के 10,791 मामलों की तुलना में 96 प्रतिशत की कमी दर्शाती हैं। 2024 में 1,510, 2023 में 1,764, 2022 में 3,114, और 2021 में 4,327 घटनाएं दर्ज की गई थीं।

- पंजाब में इस बार सबसे अधिक घटनाएं तरनतारण (136) और अमृतसर (120) जिलों से रिपोर्ट की गई हैं। पंजाब सरकार इसे अपने पराली प्रबंधन मिशन की सफलता बता रही है, जिसमें किसानों को मशीनरी और मुआवजा दोनों के विकल्प दिए जा रहे हैं।

हरियाणा में सुधार पर एमपी-राजस्थान में मामूली वृद्धि

हरियाणा में भी पराली जलाने की प्रवृत्ति घटती दिख रही है। 55 घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि 2024 में 655, 2023 में 689, और 2021 में 1,367 घटनाएं हुई थीं। दूसरी ओर, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 41 और 58 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें वृद्धि मामूली है। आईएआरआई के अनुसार 15 सितम्बर से 21 अक्तूबर 2025 के बीच छह राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुल 1,729 पराली आग की घटनाएं दर्ज हुईं। सिर्फ 21 अक्तूबर को ही 268 नई घटनाएं दर्ज हुईं जिनमें 103 उत्तर प्रदेश, 62 पंजाब, 58 मध्य प्रदेश, 41 राजस्थान, और 4 हरियाणा की थीं।

दिल्ली-एनसीआर : धुएं और सियासत में घिरी राजनीति...दिल्ली में पराली के मुद्दे पर राजनीतिक मोर्चे पर भी घमासान जारी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार किसानों को पराली जलाने के लिए उकसा रही है ताकि प्रदूषण का दोष दिल्ली पर आए। वहीं, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि सरकार प्रदूषण के वास्तविक आंकड़े छिपा रही है।

भूगोल बदल रहा है प्रदूषण का

पिछले वर्षों में जहां पराली संकट का केंद्र पंजाब और हरियाणा हुआ करता था, अब उत्तर प्रदेश नया हॉटस्पॉट बन रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो दिवाली से पहले ही दिल्ली की सांसें आने वाले हफ्तों में और भारी हो जाएंगी।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
"कल्याण भवन", 3, प्राग नारायण रोड, लखनऊ-226001

सूचना
(टेण्डर संख्या-2025_DSWUP_1080476_1)

उ०प्र० माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 150 वृद्ध संबसियों की क्षमता वाले एक-एक वृद्धाश्रम के संचालन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं के चयन के लिए निविदा संख्या-2025_DSWUP_1080476_1 ई-टेंडर पोर्टल पर दिनांक 06.10.2025 को प्रकाशित की गई है, जिसमें आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27.10.2025 को दिनांक 10.11.2025 तक विस्तारित किया जाता है।

इच्छुक एवं पात्र स्वैच्छिक संस्थाएं निर्धारित शर्तों एवं नियमों के अंतर्गत ई-टेण्डर पोर्टल https://etender.up.nic.in/ पर टेण्डर आई०डी० संख्या-2025_DSWUP_1080476_1 के अंतर्गत ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकती हैं। निविदा में प्रतिभाग करने हेतु उपरोक्त पोर्टल पर दिनांक 10.11.2025 की सायं 06:00 बजे तक आवेदन किया जा सकेगा। निविदा से संबंधित अधिक जानकारी हेतु ई-टेण्डर पोर्टल https://etender.up.nic.in/ पर विजिट करें।

आज्ञा से,
निदेशक, समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

www.upgov.nic.in
Upid- 239280 Dt.21.10.2025

खैबर पख्तूनख्वा में वाहन पर घात लगाकर हमला, छह की मौत

पेशावर। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बुधवार को घात लगाकर एक वाहन पर किए गए विस्फोटकों के हमले में छह लोगों की मौत हो गई। जिला पुलिस अधिकारी वकार अहमद खान ने बताया कि हमलावरों ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे उत्तरी वजीरिस्तान जिले के मीर अली इलाके में एक वाहन पर घात लगाकर हमला किया। वाहन में सवार सभी छह यात्री जिंदा जल गए। उनके शव पहचानने लायक भी नहीं बचे। वाहन मीर अली से बन्नू जा रहा था। एजेंसी

क्रोम को टक्कर देने आया ओपन एआई का एटलस

ब्राउजर में एआई चैट इंटरफेस और एजेंट मोड जैसी सुविधाएं होंगी उपलब्ध

वाशिंगटन। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने गूगल क्रोम को टक्कर देने के लिए नया वेब ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है। इसमें एआई चैट इंटरफेस और एजेंट मोड जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो यूजर के लिए खुद सर्च करेंगी।

लगभग 800 करोड़ लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर फ्री यूजर्स हैं। इसलिए एटलस को ओपनएआई के लिए ऑनलाइन सर्च और विज्ञापनों के क्षेत्र में कमाई का एक नया जरिया माना जा रहा है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा कि ये एक ऐसा मौका है, जो दशकों में कभी-कभी मिलता है। इसमें लोगों को सोचने का मौका मिलेगा कि ब्राउजर क्या होता है और उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि एटलस में एक प्रीमियम फीचर, एजेंट मोड, जो आपके लिए खुद इंटरनेट सर्च करेगा। यह आपकी



ऐसे करता है काम

एटलस में सर्च रिलल्ट पर क्लिक करने पर स्क्रीन दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ वेब पेज और दूसरी तरफ चैट जीपीटी की बातचीत दिखती है। इसे कंपेनियन फीचर कहा गया है, जो हर समय आपके साथ रहता है। अगर आप चाहें तो इस स्प्लिट-स्क्रीन को बंद भी कर सकते हैं। ब्राउजर में वेबपेज का सारांश देने का फीचर भी है।

ब्राउजिंग हिस्ट्री और आपकी कमांड के आधार पर जानकारी दुहेंगा। साथ ही बताएगा कि वह क्यों और कैसे नतीजे दे रहा है। एजेंसी

punjab national bank | पंजाब नैशनल बैंक
... name you can BANK upon!
मण्डल कार्यालय- एस 20/56 डी.
केनेडी रोड, द माल, कैण्ट, वाराणसी-221002

माँग सूचना

यह कि पंजाब नैशनल बैंक, मंडल कार्यालय एस 20/56 डी, द माल कैण्ट वाराणसी ने जरिये प्रोधिकृत अधिकारी निम्नलिखित ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतकर्ताओं को उनके द्वारा ली गयी ऋण सुविधा के पुनर्भुगतान तथा ब्याज में चूक करने पर उक्त ऋण सुविधा को अक्रियान्वित आस्ति (एन. पी. ए.) के रूप में वर्गीकृत कर सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किये थे। नोटिस निम्नलिखित ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतकर्ताओं को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत उनके अंतिम ज्ञात पते पर भेजे गये थे, जो बिना तामील हुए लौटाकर आ गये हैं। अतः इस आम सूचना द्वारा उनको सूचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	ऋणी/जमानतकर्ताओं का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	13(2) के पत्र की तिथि	अक्रियान्वित आस्ति की तिथि	ऋण राशि	माँग सूचना के अनुसार बकाया राशि
1. शाखा : शाहगंज (136910)	**ऋणी :(1) मेसर्स कान्हा प्लास्टिक इंडस्ट्रीज** पार्टनर: श्रीमती सुनीता जायसवाल पत्नी श्री शरद जायसवाल, श्री शिवम जायसवाल पुत्र श्री शरद जायसवाल और श्री सोनल विकल पुत्र श्री शरद जायसवाल **पता:** ताखा पूरब, फैजाबाद रोड, शाहगंज, जौनपुर 223101 **ऋणी : (2) श्रीमती सुनीता जायसवाल पत्नी श्री शरद जायसवाल, (3) श्री शिवम जायसवाल पुत्र श्री शरद जायसवाल, (4) श्री सोनल विकल पुत्र श्री शरद जायसवाल, पता:** सभी निवासी मोहल्ला पुराना चौक, करबा और पोस्ट शाहगंज, जौनपुर, उ0प्र0-223101 **जमानतकर्ता:** श्री शरद जायसवाल पुत्र स्वर्गीय शंभू नाथ जायसवाल, **पता:** मोहल्ला पुराना चौक, करबा और पोस्ट शाहगंज, जौनपुर, उ0प्र0 – 223101	सामयिक बंधक आवासीय संपत्ति स्थित आराजी नं0 1830 मि, क्षेत्रफल 16 डेसीमल अथवा 6968 वर्ग फुट या 0.16 एकड़ ग्राम/मौजा ताखा पूरब, परगना–अंगुली, तहसील– शाहगंज, जिला–जौनपुर, विलेख संख्या 1536 के तहत, 14.06.2001 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय–शाहगंज, जौनपुर में पुस्तक संख्या 1, वोल्यूम क्रमांक–330 पर पंजीकृत, पृष्ठ 309 से 328 (स्वामी– शरद कुमार जायसवाल पुत्र स्वर्गीय श्री शम्भू नाथ जायसवाल) चौहद्दी: (विलेख के अनुसार): पूर्व– प्रथम पक्ष की भूमि, पश्चिम– प्रथम पक्ष की भूमि, उत्तर– चकमार्ग, दक्षिण– नाली। नोट: उपरोक्त संपत्ति ऋण खाता सं0 1369501100006, मेसर्स ग्लास एजेंसी में भी बंधक है । शाखा कार्यालय : शाहगंज (136910)	09.09.2025	25.08.2025	13.00 लाख	रू0 **13,26,235.08** (रुपये तेरह लाख छब्बीस हजार दो सौ पैंतीस एवं आठ पैसे मात्र) दि0 31.08.2025 तक अतिरिक्त ब्याज एवं आकस्मिक व्यय, लागतों के साथ 01.09.2025 से प्रभावी

अतः यह सूचना नोटिस की ऐवज में प्रकाशित की जा रही है। यह कि उक्त नामित ऋणियों, बंधककर्ताओं और उनके जमानतकर्ताओं (जहां कहीं भी लागू हो) को सलाह दी जाती है कि इस नोटिस के प्रकाशित होने की दिनांक से 60 दिवस के भीतर समस्त बकाया राशि चुका दें, अन्यथा ऐसा न होने पर बैंक द्वारा 60 दिनों की अवधि बीतने के बाद विशेष आस्तियों के प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधान के अन्तर्गत अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। प्रतिभूत आस्तियों के सुरक्षित वापसी के लिए उपलब्ध समय की और आपका ध्यान अधिनियम की धारा 13 उपधारा (8) के प्रावधानों पर आकृष्ट किया जाता है। सूचित रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार उक्त वर्णित समस्त ऋणी/बंधककर्ता/जमानतकर्ता संबंधित बंधक सम्पत्तियों के विक्रय/लीज अथवा अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित एवं अंतरण नहीं कर सकते है।

नोट–ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतकर्ताओं से अनुरोध है कि वे मूल नोटिस, पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय द माल कैण्ट, वाराणसी से एकत्र कर लें।

दिनांक: 22.10.2025, स्थान: वाराणसी — प्राधिकृत अधिकारी– पंजाब नेशनल बैंक

punjab national bank | पंजाब नैशनल बैंक
... name you can BANK upon!
मण्डल कार्यालय- एस 20/56 डी.
केनेडी रोड, द माल, कैण्ट, वाराणसी-221002

कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पंजाब नेशनल बैंक, का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (12) और प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 सपठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना जारी की थी तथा सम्बन्धित ऋणियों को माँग सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है का भुगतान सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने को कहा था। ऋणियों के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणियों और सर्वसाधारण को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य (कब्जा) ग्रहण कर लिया है, जिसके विवरण अधोलिखित है। ऋणियों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से एतद्वारा उक्त सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार (क्रय–विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है तथा उक्त संपत्ति का किसी भी प्रकार से क्रय विक्रय पंजाब नेशनल बैंक, की बकाया राशि, ब्याज व अन्य व्यय, यदि कोई हो, के भार के अधीन होगा, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

क्र० सं०	खाता/ऋणी का नाम एवं पता	बकाया ऋण राशि मांग सूचना की तिथि/कब्जा की तिथि एवं बकाया राशि	बन्धक सम्पत्ति का विवरण
1.	ऋणी: राजेश कुमार यादव पुत्र पन्ना लाल यादव निवासी 317/1, देवाबीर कालोनी, बतुवा रोड, आशापुर जिला वाराणसी–221007	नदेसर वाराणसी (203210) 14.07.2025 / 21.10.2025 रू. 10,14,337.62 (रुपये दस लाख चौदह हजार तीन सौ सैंतीस एवं बासठ पैसे मात्र) 30.09.2025 तक ब्याज एवं अन्य प्रभार 01.10.2025 से, घटाव वसूली यदि कोई हो	सामयिक बंधक की भूमि और भवन स्थित आराजी संख्या 304, क्षेत्रफल 935 वर्ग फीट यानि 86.89 वर्ग मीटर, मौजा तिलगापुर, परगना शिवपुर, तहसील सदर, जिला वाराणसी में स्थित, जो कि पीरहू सिंघ पुत्र स्वर्गीय लोकनाथ सिंघ द्वारा राजेश कुमार यादव पुत्र पन्ना लाल यादव के पक्ष में दिनांक 09-04-2010 को निष्पादित बिक्री विलेख के अनुसार, जो पुस्तक संख्या 1 खंड संख्या 4154 पृष्ठ संख्या 61 से 92 में पंजीकृत है, जो कि दस्तावेज संख्या 2169 है।

नोट: विसुद्ध की स्थिति में अंग्रेजी मूल पाठ्य ही मान्य होगा।

दिनांक: 22.10.2025 — स्थान: वाराणसी — प्राधिकृत अधिकारी– पंजाब नेशनल बैंक

नींद के घंटे नहीं... सोने के सम